न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
393/2024 प्रा0 पत्र	02.07.2024	12.05.2025

उनवान

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र रूघनाथ ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज.)
2. बन्शीलाल पुत्र रूघनाथ ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज.)
3. मदनलाल पुत्र जानकीलाल ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज.)
4. सोहनलाल पुत्र जानकीलाल ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चारभुजाजी स्थान देह ग्राम जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा जरिये पुजारी श्री बंशीदास पिता छीतरदास बैरागी निवासी जित्यां तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री अनिल कुमार औझा

2— विपक्षीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं।

—:: **निर्णय** ::—

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद ग्राम जित्यां पटवार हल्का सूठेपा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 249 रकबा 0. 4105 हैक्टेयर व आराजी संख्या 250 रकबा 0.4645 हैक्टेयर स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं काश्त करते चले आ रहे है तथा अपना एंव अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त वर्णित आराजी संख्या 250, 249 पर अपने हक हिस्से की भूमि पर राजस्व रेकार्ड में स्थित पर आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 241 जो कि श्री चारभुजाजी स्थान सा. देह के नाम दर्ज होकर उक्त आराजी संख्या 241 की उत्तरी मेड़ पर होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 249, 250 में पहुँचते है अर्थात् आम रास्ते से आराजी संख्या 241 में प्रवेश कर उसकी उत्तरी मेड पर होते हुये आम रास्ते से जो कि प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से निकलता चला आ रहा है से होता हुआ आराजी संख्या 249, 250 में पहुँचता है जहाँ आगे अन्य खाातेदार भी अपनी अपनी आराजीयात में पहुँचते है। उक्त रास्ता जो कि 30 फीट चौड़ा होकर आम रास्ते से आराजी संख्या 241 की उत्तरी मेड़ से होता हुआ आराजी संख्या 249 व 250 में पहुँचते है एवं प्रार्थीगण मौके पर अपनी आराजियात में आने जाने हेतु इसी आराजी संख्या 241 की उत्तरी मेड़ पर स्थित रास्तें का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन उक्त रास्तें का राजस्व नक्शे में अंकन नही हो पाने से विपक्षी संख्या के नाम दर्ज आराजियात को गांव वाले अन्य 1 लोगो द्वारा पुजारी पर नाजायज रूप से दबाव बनाकर उक्त रास्तें को बन्द कराने पर आमादा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण एवं गांव वालों को काफी समझाया लेकिन इसका कोई सही हल नही निकला एवं हम प्रार्थीगण को उक्त आराजियात में आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है एवं वर्तमान में भी फसल काश्त करने हेतु भी नही जा पा रहे है एवं नाजायज रूप से व्यवधान पैदा किया जा रहा है एवं गाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने में एवं प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने के उक्त रास्ते को खुलासा कराया जाना एवं राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आने जाने से व उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे व प्रार्थीगण व उसके परिवाजन भूखे मर जायेगें। प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने व कृषि जोत करने हेतु ट्रेक्टर बेलगाडी आदि ले जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु 36 फिट चौडे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है जो खुलासा कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है क्योकि इससे अन्य खातेदार भी अपनी आराजी में जाते रहते है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 249, 250 में पहूँचने वालें रास्तें को आराजी संख्या संख्या 241 की उत्तरी मेड पर नजरी नक्शे में प्रदर्शित एक्स स्थान से प्रविष्ट होकर उक्त आराजी संख्या 241 में होते हुये प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 249, 250 में पहुँचते है उक्त रास्ते को खुलासा करने के आदेश प्रदान करावें एवं दौराने प्रार्थना पत्र अगर कोई अवरोध कर दिया जाता है तो या रास्ते के स्वरूप को नष्ट कर दिया जावें तो जरिये आदेशात्मक आदेश उक्त रास्तें के स्वरूप को पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण संख्या 01 उपस्थित नहीं। नायब तहसीलदार बडलियास ने अपने पत्र क्रमांक 394 दिनांक 23.08.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु आराजी नम्बर 241 से होकर जाने के अलावा अन्य को वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के पास निकटतम मार्ग आराजी नम्बर 241 से है एवं इसमें से किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। विपक्षीगण रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजियात से कोई रकबा नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आराजी नम्बर 241 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण राजीनामें से रास्ता देने की सहमति देना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजियात में अप्रार्थीगण की राजीनामें से सहमति नहीं होने से लघुतम रास्ता आराजी नम्बर 241 की पूर्वी मेड से होकर प्रस्तावित किया है जो प्रार्थीगण की आराजियात 250, 249 को सडक की आराजी नम्बर 227 पर पहूँच हेतु उपुर्युक्त है प्रार्थीगण की आराजियात पर पहूचनें हेतु 15 फीट चौडाई व 625 फीट लम्बाई 9375 वर्गफीट यानि 0.0886 हैक्टेयर भूमि रास्तें हेतु किया जाना उचित है। प्रकरण में पुनः नायब तहसीलदार बडलियास ने अपने पत्र क्रमांक 457 दिनांक 20.09.2024 से से रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार वादी को 15 फीट चौडा रास्ता देने पर अप्रार्थी की आराजी नम्बर 241 में से 0.0886 हैक्टेयर भूमि रास्तें के उपयोग में आती है। उक्त भूमि असिंचित होने से ग्राम जित्या की वर्तमान डी0एल0सी0 6,59,611 /— रूपये से दुगनी भूमि की कीमत डी0एल0सी0 अनुसार 1,16,884 /— रूपये बनती है। डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा रास्तें की भूमि के बदले भूमि देने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार बडलियास के पत्रांक 146 दिनांक 05.03.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार मौके पर आराजी नम्बर 241 पडत पडी हुई है एवं प्रार्थीगण की खाते की आराजी संख्या 250 रकबा 0.4645 हैक्टैयर में फसल काश्त कर रखी है। आराजी नम्बर 250 कन्हैयालाल, बंशीलाल पुत्र रूघनाथ 1/3, पूर्णमल, बनवारी लाल, यशोदा पिता स्व0 राधेश्याम, शांति देवी पत्नी राधेश्याम 1/6, मदनलाल, सोहनलाल पिता जानकीलाल 1/3 ब्राहम्ण सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातेदारों में से नन्दकंवरी की मृत्यु हो चुकी है। मौके पर श्री कन्हैयालाल, बंशीलाल पिता रूघनाथ, मदनलाल, सोहनलाल पिता जानकीलाल ब्राहम्ण उपस्थित रहे। उपस्थित खातेदारों एवं मौतबिरानों की उपस्थिति में आराजी नम्बर 241 की उत्तरी मेड पर 15 फीट चौडाई में 0.0886 हैक्टेयर भूमि में रास्तें के बदले आराजी नम्बर 250 में से प्रस्तावित रास्तें के बराबर 0.0886 हैक्टेयर भूमि आराजी नम्बर 241 के खातेदार श्री चारभुजा स्थान देह के नाम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नजरी नक्शें अनुसार आराजी नम्बर 241 के खातेदार को पहूॅच मार्ग में प्रस्तावित भूमि 0.0886 हैक्टेयर भूमि के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 250 जो कि आराजी नम्बर 241 के लगायत है में से 0.0886 हैक्टेयर भूमि 241 के खातेदार विपक्षी श्री चारभुजाजी स्थान देह के नाम पर की जाती है तो उपस्थित खातेदार एवं मौतबिरान को आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने नायब तहसीलदार बडलियास से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार करते हुये वादी रास्ते की भूमि के बदले भूमि हेतु सहमत है। आराजी नम्बर 250 के सहखातेदारों द्वारा भी शपथं पत्र प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 241 में से रकबा 0.0886 हैक्टेयर रास्तें की भूमि के बदले आराजी नम्बर 250 में से रकबा 0.0886 हैक्टेयर भूमि देने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप–2) अधिसूचना जयपुर 05 सितम्बर 2023 अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है।

अतएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम जित्यां पटवार हल्का सूठेपा, भू0अ0नि0क्षैत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 249 रकबा 0.4105 हैक्टेयर व आराजी संख्या 250 रकबा 0.4645 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 241 में से 0.03396 हैक्टयर में से से 15 फीट चौडाई में 0.0886 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी नम्बर 241 में से रकबा 0.0886 हैक्टेयर भूमि रास्तें के रूप में दर्ज करने एवं प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 250 में से 0.0886 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित राजस्व नक्शें व नजरी नक्शें में लाल स्याही से अंकित अनुसार विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नायब तहसीलदार बडलियास प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 241 में से 0.0886 हैक्टेयर भूमि उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। मौका पर्चा राजस्व नक्शा व नजरी नक्शा आदेश का पार्ट रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा